कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद–211002

सं0 **18198** /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति(खण्ड–2)/2014–15

दिनांकःइलाहाबादः जनवरी **29**, 2014

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल षाप तथा देषी षराब, विदेषी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेष संख्या 116 ई–2/तेरह–2014–126/2013 दिनांक 29–01–2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तो के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :– वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल षाप की प्रदेश की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की प्रदेश की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

(ख) **देषी/विदेषी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल षाप का व्यवस्थापन** :–

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2013–14 के अनुज्ञापी को वर्ष 2014–15 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विषेशाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा षेश आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 ;36ः अध्अद्ध में वित्तीय वर्श 2014–15 के लिये 6ः की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित प्रति बल्क लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 24/– से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 204/–प्रति बल्क लीटर की दर से एम0जी0क्यू0 में गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की

जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराषि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।

4. वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रचलित की गई 25ः अध्अ तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का प्रचलन वर्ष 2014–15 में भी यथावत् रहेगा। इस विशेष श्रेणी की मदिरा की एम.आर.पी. रु0 26 प्रति पौवा (200एम.एल.) निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।
5. विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि तथा इस वृद्वि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराषि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराषि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

6. बीयर दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि तथा इस वृद्वि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराषि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराषि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

7. **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :–**

(क) **नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :–** देषी षराब, विदेषी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल षाप्स के माह मार्च–2014 से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की **आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा** करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवशेष लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च तक जमा करेगा।

(ख) **लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :–** यदि किसी आवेदक को देषी षराब, विदेषी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल षाप्स के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के **तीन कार्य दिवसों के भीतर** लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।

(ग) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :–** लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रुप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस

और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

8. वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस रू0 8,000 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र रू0 9,000/– निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से देय होंगे।

9. देषी षराब, विदेषी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल षाप्स के लिये वित्तीय वर्श 2014–15 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क्र सं0	निकाय	देषी मदिरा	विदेषी मदिरा	बीयर	माडल षाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये	45,000	55,000	45,000	60,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये	40,000	45,000	35,000	50,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये	30,000	30,000	22,000	30,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये	16,000	17,000	11,000	20,000

10. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निकाय वार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

निकाय	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	22500	8,55,000	1,90,000
नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	16000	2,90,000	1,00,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	9500	1,35,000	55,000
ग्रामीण	5500	70,000	50,000

11. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निधारित की गयी है :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	34.50 लाख	3.50 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	12.65 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 34.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।	1.75 लाख

12. उपरोक्त के अतिरिक्त माडल षाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 100000 वर्ष या वर्श के भाग के लिये निर्धारित है।

(ग) <u>देषी षराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण</u> :–

1. वर्ष 2013–14 के लिये व्यवस्थित देशी शराब की थोक आपूर्ति के सी0एल0–1बी एवं सी0एल0–1सी के समस्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. प्रत्येक सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को उक्त जोन के प्रत्येक जनपद हेतु अलग–अलग स्वीकृत सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. देषी षराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (सी0एल0–1बी एवं सी0एल0–1सी) के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
4. उपरोक्त अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस एवं अन्य देयताएं निम्नवत् निर्धारित हैः–

(क) **सी0एल0–1बी** **रु0 प्रति अनुज्ञापनः–**

नवीनीकरण फीस रु0 4.00 लाख
लाइसेंस फीस रु0 12.00 करोड़
प्रतिभूति धनराषि रु0 1.20 करोड़

उपरोक्त लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार की जायेगी :–
नवीनीकरण के समय 4.00 करोड़
30.06.2014 तक 4.00 करोड़
30.09.2014 तक 4.00 करोड़

(ख) **सी0एल0–1सी** **रु0 प्रति अनुज्ञापनः–**
नवीनीकरण फीस 20,000
प्रतिभूति धनराषि 17,500
लाइसेंस फीस 1.75 लाख

(घ) <u>विदेषी षराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण</u> :–

1. वर्ष 2013–14 के लिये व्यवस्थित विदेशी शराब की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. विदेषी षराब की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापी चाहे, तो एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन प्राप्त करके एक ही परिसर से विदेशी मदिरा के साथ ही बीयर की भी बिक्री कर सकता है।
4. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्रम संख्या	वर्श 2013–14 में जनपद में विदेषी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम. एल.) की संख्या	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	6.05 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	12.10 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	24.20 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	36.30 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	48.40 लाख

<u>स्पष्टीकरण</u> :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2014 से पूर्व कराया जाता है, तो माह मार्च–2014 में माह फरवरी–2014 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्घि होती है, तो तदनुसार वृद्घि की धनराषि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(ङ) **<u>बीयर की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण</u>** :–

1. वर्ष 2013–14 के लिये व्यवस्थित बीयर की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा।
2. बीयर की थोक आपूर्ति के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ0एल0–2बी की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्रम संख्या	वर्श 2013–14 में जनपद में बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बीयर की बोतलों (650 एम0एल0) की संख्या	वर्श 2014–15 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	10,00,000 बोतलों तक	3.85 लाख
2	10,00,000 से अधिक 20,00,000 बोतल तक	7.70 लाख
3	20,00,000 से अधिक 30,00,000 बोतल तक	11.55 लाख
4	30,00,000 से अधिक 40,00,000 बोतल तक	15.40 लाख
5	40,00,000 से अधिक 50,00,000 बोतल तक	19.25 लाख

6	50,00,000 बोतल से अधिक	23.10 लाख

स्पष्टीकरण :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– यदि एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2014 से पूर्व कराया जाता है तो माह मार्च–2014 में माह फरवरी–2014 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्वि होती है, तो तदनुसार वृद्वि की धनराषि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(च) विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" :–

वर्ष 2013–14 में प्रचलित की गई विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स" की व्यवस्था को वर्ष 2014–15 हेतु समाप्त कर दिया गया है।

(छ) भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

1. भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्श 2014–15 हेतु उत्तर प्रदेष आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

(ज) समय सारिणी

1. **प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारिणी :–**

कमांक	विवरण	तिथि
1.	विज्ञप्ति प्रकाशन	**30.01.2014**
2.	समस्त संलग्नकों के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	**04.02.2014 को 14.00 बजे तक**
3.	जोन वार आवेदनों का परीक्षण कर अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	**04.02.2014 को 16.00 बजे तक**

2. **सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारिणी :–**

   1) सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को दिनांक **05–02–2014 से 07–02–2014** तक जोन के प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि अदा करके सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

3. **एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारिणी :–**

कमांक	विवरण	तिथि
1.	विज्ञप्ति प्रकाशन	**30.01.2014**
2.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	**07.02.2014 को 18.00 बजे तक**
3.	अनुज्ञापन निर्गमन की तिथि	**01.02.2014 से 10.02.2014 तक**

4. **भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारिणी:–**

कमांक	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	**10.02.2014**
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से षेश रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

5. **विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा षेश आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणी :–**

क्रमांक	प्रथम चरण	तिथि
1	;पद्धवर्ष 2014–15 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना। ;पपद्ध उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना। ;पपपद्ध उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 01.02.2014 से दिनांक 06.02.2014 को अपरान्ह 13.00 बजे तक** करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	**30.01.2014**
	;पअद्ध **नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**06.02.2014 को 16.00 बजे तक**
	;अद्ध **जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये दुकानों के नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि**	**06.02.2014 को 18.00 बजे तक**
	द्वितीय चरण	
2;पद्ध	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 07.02.2014 से प्रारम्भ कर दिनांक 11–02–2014 को अपरान्ह 14.00 बजे तक** करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	**06.02.2014**
;पपद्ध	आवेदन पत्रों का वितरण	**07.02.2014**

		से 11.02. 2014 को 14.00 बजे तक
;पपपद्ध	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**11.02.2014 को 17.00 बजे तक**
;पअद्ध	आवेदन पत्रों का परीक्षण	**12.02.2014**
;अद्ध	सार्वजनिक लाटरी	**13.02.2014 को 11.00 बजे से**
	तृतीय चरण	
3;पद्ध	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2013–14 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति	**13.02.2014**
;पपद्ध	आवेदन पत्रों का वितरण।	**14.02.2014 से 18.02. 2014 को 12.00 बजे तक**
;पपपद्ध	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**18.02.2014 को 14.00 बजे तक**
;पअद्ध	आवदेन पत्रों का परीक्षण	**18.02.2014**
;अद्ध	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी	**19.02.2014 को 11.00 बजे से**
;अपद्ध	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से षेश रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	————
;अपपद्ध	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2014 से दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही	**30.03.2014**

6. **विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणीः–**

क्रमांक	विवरण	तिथि
1;पद्ध	वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	**30.01.2014**
;पपद्ध	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	**04.02.2014 को 15.00 बजे तक**
;पपपद्ध	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	**04.02.2014 को 17.00 बजे तक**

;पअद्ध	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	**07.02.2014 को 17.00 बजे**

नोटः– 1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2–उपरोक्त विज्ञप्ति तथा वर्ष 2014–15 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट ूण्नचमगबपेमण्पद पर देखा जा सकता है।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेष।